मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और7)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. अर्जुन पुत्र श्री जग्गा।
2. रामा पुत्र श्री जग्गा।
3. बदी पुत्र श्री जग्गा।
4. कालू पुत्र श्री जग्गा।

तमाम जाति मीणा निवासीगण ग्राम मोडी का झौंपड़ा तहसील सावर जिला अजमेर।

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री सीताराम कुमावत –वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर–प्रतिवादी

वाद पत्र:– अंतर्गत धारा 88 राज.टिनेन्सी एक्ट सप.धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

मुकदमा नम्बर:– राजस्व वाद 305 / 2016 (2016 / 00615)

निर्णय दिनांक:– 25.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री सीताराम कुमावत वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर हाजिर मुददावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि ग्राम सावर तहसील सावर के खाता संख्या नया–पुराना 1–1 खसरा [illegible]49, 4957, 4955 / 5247 रकबा 0.46, 0.78, 1.24हैक्टर कुल किता 3, कुल रकबा 2.48 में वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार अंकन किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना--अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक..वावत.................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.......
....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 जुलाई 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वावत इजराय हुक्मनामा			वावत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	——	——	मुतफरिक	——	——
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 305/2016 (2016/00615)

1. अर्जुन पुत्र श्री जग्गा।
2. रामा पुत्र श्री जग्गा।
3. बदी पुत्र श्री जग्गा।
4. कालू पुत्र श्री जग्गा।

तमाम जाति मीणा निवासीगण ग्राम मोडी का झोपड़ा तहसील सावर जिला अजमेर।

----वादीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर अजमेर।

---- प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री सीताराम कुमावत –वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर–प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज.टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.7.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम सावर पटवार हल्का सावर तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

अनुसूची–अ

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1–1	3258	15–10–00	बारानी 3

अनुसूची–ब

वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–72 के अनुसार आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1–1	4949	0.46	बारानी–1
	4957	0.78	बारानी–1
	4955/5247	1.24	बारानी–1

उक्त अनुसुची–अ में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण को दिनांक 27.6.1995 को आवंटित की गई तथा आवंटन की दिनांक से ही वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण का ही कब्जा, काश्त स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है वर्किंग जमाबंदी के अनुसार दिनांक 27.6.1995 में आयोजित ग्राम विकास शिविर केम्प सावर में नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 27.6.1995 से प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई तथा जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया। इसके पश्चात राजस्व अधिकारियों ने लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुऐ आगे के वर्षो की जमाबन्दियों में प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया गया तथा उक्त खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज कर दि गया तथा उक्त खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अनुसूची–ब मे वर्णित है जो कतई गलत है जबकि आराजी पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण काश्त कर पैदावार लेता चले आ रहे है प्रार्थीगण को इसकी जानकारी हाल ही मे हुई कि उक्त आराजीयात सिंचायकक राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है जिसकी नकल पटवारी से ली तथा उसके बाद तहसील से पुराना रिकोर्ड निकलाने के बाद सही जानकारी हुयी। वादवर्णित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने अपार्थी से निवेदन किया तो टालमटोल करते रहे तथा श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश लाने के लिए प्रार्थीगण को कहा गया। प्रार्थीगण को वाद ग्रस्त आराजीयात का खातेदार काशतकारी घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में इन्दाज किया जाकर माल गुजारी कायम किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम सावर पटवार हल्का सावर भू–अभिलेख निरीक्षक सावर तहसील सावर जिला अजमेर मे स्थित वाद वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तमाम राजस्व अभिलेखों मे प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार इन्दाज किया जाकर जमाबन्दी बनायी जाकर मालगुजारी कायम किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी जर्ये पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

जवाब सरकार निम्नानुसार है:–

1. बिन्दु संख्या 1 वर्किंग जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान जमाबंदी अनुसार स्वीकार योग्य है।
2. बिन्दु संख्या 2 गिरदावरी संवत् 2051–54 व नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 27.6.1995 के अनुसार स्वीकार योग्य है।
3. बिन्दु संख्या 3 स्वीकार योग्य है।
4. बिन्दु संख्या 4 संलग्न गिरदावारी अनुसार व वर्तमान कब्जा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार योग्य है।
5. बिन्दु संख्या 5 अस्वीकार योग्य है।
6. बिन्दु संख्या 6 अस्वीकार योग्य है।
7. बिन्दु संख्या 7 प्रकरण न्यायालय से सम्बन्धित हैं
8. बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार योग्य हैं
9. बिन्दुं संख्या 9 न्यायालय से सम्बधित है।
10. बिन्दु संख्या 10 न्यायालय से संबंधित है।
11. बिन्दु संख्या 11 माननीय न्यायालय से सम्बधित हैं।

तनकीयात कायम कि गई जो निम्नानुसार है।

1. आया वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का खातेदार अधिकारी है?(वादीगण)
2. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी कब्जे काश्त अनुसार स्वीकार योग्य है?(वादीगण)

प्रार्थीगण द्वारा **सहादत वादी** में गवाहान श्री रामा पी.डब्ल्यू 1 व कालूराम पुत्र बन्नाराम मीणा द्वारा शपथ पत्र पेश किये। तथा वादपत्र के समर्थना में जमाबंदी संवत् 2069–2072 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2061–64 प्रदर्श–2, प्रदश–3 जमाबंदी संवत् 2058, प्रदश–4 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2048–2068, प्रदर्श–5 नजरी नक्शा, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2079, प्रदर्श–7 जमाबंदी सत्यापित दिनांक 1.8.1995, प्रदर्श–8 खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैरमुस्तकिल काश्त संवत् वर्ष 2050, प्रदर्श–9 काश्त संवत् वर्ष 2051, प्रदर्श–10 गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2000, प्रदर्श–11 गैर मुस्तकिल काश्त 2071, प्रदर्श–12 गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2072 की सत्यापित फोटोप्रति पेश कि।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रदर्श–9 काश्त संवत् वर्ष 2051, प्रदर्श–10 गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2000, प्रदर्श–11 गैर मुस्तकिल काश्त 2071, प्रदर्श–12 गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2072 की सत्यापित फोटोप्रति पेश कि। वादी के दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये गये। वादी शहादत बंद की गई प्रतिवादी शहादत पेश नही करना चाहते। जिस्ह प्रतिवादी शून्य रही। अंतिम बहस सुनी गई।

तनकीयात अनुसार निर्णय निम्नानुसार है:–

तनकीयात 1 आया वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का खातेदार अधिकारी है के प्रश्न में वादीगण द्वारा नामान्तरण की सत्यापित प्रति प्रदर्श–6 व जमाबंदी दिनांक 1.8.1995 की सत्यापित प्रतिलिपि पेश किया जिसमे उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण को आवंटन दिनांक 27.6.1995 केम्प सावर आदेश कमांक 522–25 दिनांक 27.6.1995 सूची कमांक 26 म उल्लेखित है जिसका नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 27.6.1995 से प्रार्थीगण के नाम गैर खातदारी दर्ज की गई तथा जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। अतः तनकीयात संख्या 1 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व तय कि जाती है।

तनकीयात 2 आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी कब्जे काश्त अनुसार स्वीकार योग्य है के प्रश्न में देखा गया कि गवाहान कालूराम का शपथ पत्र व खसरा परिवर्तन निधारण गैरमुस्तकिल काश्त संवत 2050 प्रदर्श–8, खसरा परिवर्तन निधारण गैरमुस्तकिल काश्त संवत 2051 प्रदर्श–9, खसरा परिवर्तन निर्धारण गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2005 प्रदर्श–10 व खसरा परिवर्तन निर्धारण गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2071 प्रदर्श–11, खसरा परिवर्तन निर्धारण गैर मुस्तकिल संवत् 2072 प्रदर्श–12, व प्रतिवादी के जवाब सरकार में वादी का कब्जा काश्त होना व संलग्न दस्तावेज एवं पटवार हल्का की जॉच रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी दिया जाना बताया अतः उक्त दस्तावेजात व जवाब सरकार से वादी का ही कब्जा काश्त होना सिद्व होता है अतः तनकीयात 2 वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्व तय कि जाती है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान, व असल दस्तावेजात व प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा का अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वाद वर्णित आराजी वाके ग्राम सावर तहसील सावर के वर्तमान खाता संख्या नया–पुराना 1–1 खसरा संख्या 4949, 4957, 4955/5247 रकबा 0.46, 0.78, 1.24हैक्टर कुल किता 3, कुल रकबा 2.48 में वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में बतौर गैर खातेदार अंकन किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner